

पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र-1

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरें) कृप्या जहाँ लागू हो का निषान लगाएँ

☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

☐	मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना
☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	बिहार निःशक्तता पेंशन

1.

- आवेदक का नाम :.....
- पिता ()/पति () का नाम :.....माता का नाम:.....
- लिंग :- पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
- पूरा पता :- ग्राम/मुहल्ला :.....
पंचायत/नगर/वार्ड :-.....नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :-.....
थाना :-.....प्रखण्ड :-.....अनुमण्डल :-.....
जिला :-.....डाकघर :-.....पिन कोड :-.....
- कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य
- आधार संख्या :-.....निर्वाचन परिचय पत्र संख्या :-.....
- एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या :-
- सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं0 :-.....ई-मेल :-.....
- आवेदन का पहचान चिन्ह :-.....
- बैंक का विवरण (अनिवार्य)
(क) आई0एफ0एस0सी0 (IFSC) कोड :-.....(ख) शाखा कोड :-.....
(ग) शाखा का नाम :-.....(घ) बैंक खाता संख्या :-.....
- पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
(क) आयु :- (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
(ग) आयु : 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक :-.....प्राप्तांक :-.....
2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :-
(घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ की :-
(i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
(ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
(iv) मैं (नाम) :-.....जिला :-.....

बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्योरा गलत/झुठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाए।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

कृ०पृ०उ०.....2/

पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र-1

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरें) कृप्या जहाँ लागू हो का निषान लगाएँ

☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

☐	मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना
☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	बिहार निःशक्तता पेंशन

1.

- आवेदक का नाम :.....
- पिता ()/पति () का नाम :.....माता का नाम:.....
- लिंग :- पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
- पूरा पता :- ग्राम/मुहल्ला :.....
पंचायत/नगर/वार्ड :-.....नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :-.....
थाना :-.....प्रखण्ड :-.....अनुमण्डल :-.....
जिला :-.....डाकघर :-.....पिन कोड :-.....
- कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य
- आधार संख्या :-.....निर्वाचन परिचय पत्र संख्या :-.....
- एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या :-
- सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं0 :-.....ई-मेल :-.....
- आवेदन का पहचान चिन्ह :-.....
- बैंक का विवरण (अनिवार्य)
(क) आई0एफ0एस0सी0 (IFSC) कोड :-.....(ख) शाखा कोड :-.....
(ग) शाखा का नाम :-.....(घ) बैंक खाता संख्या :-.....
- पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
(क) आयु :- (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
(ग) आयु : 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक :-.....प्राप्तांक :-.....
2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :-
(घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ की :-
(i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
(ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
(iv) मैं (नाम) :-.....जिला :-.....

बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्योरा गलत/झुठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाए।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

कृ०पृ०उ०.....2/

सहमति पत्र-1

मैं श्री/श्रीमती (नाम) आधार
संख्या एवं मोबाईल संख्या
का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे
आधार संख्या व मोबाईल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत
मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं।

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि :-

नाम :-

पता :-

पहचानकर्ता :-

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

सहमति पत्र-II

सेवा में,

बैंक

शाखा प्रबन्धक,

..... बैंक (बैंक का नाम)

शाखा.....

.....
.....

विषय :- मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या :- को आधार संख्या (UIADI Number) से जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

मैं आपके बैंक में (शाखा का नाम) बैंक खाता संख्या :- का धारक हूँ। मैं अपना आधार संख्या समर्पित करना हूँ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता हूँ कि :-

- यू0आई0डी0ए0आई0, भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू0आई0डी0 संख्या को मेरे नाम से संधारित उपर्युक्त खाता संख्या के साथ जोड़ जाय।
- इसे एनपी0सी0आई0 (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि भारत सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) योजना के तहत लाभ मेरे खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/चाहूँगी।
- यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाय।
- मेरे निम्न अंकित मोबाईल संख्या को एस0एम0एस अलर्ट हेतु उपयोग में लायी जाय।

आधार के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है :-

आधार/ई0आई0डी0 नं0

आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार).....

मैं समझता/समझती हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना साथ उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायगा।

(खाताधारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

नाम :-

मोबाईल नं0

ई-मेल

अनुलग्नक- आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

बैंक प्रयोग के लिए

आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की सम्पुष्टि :-

श्री/श्रीमती का (बैंक)..... शाखा, में संधारित खाता संख्या को आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या से जोड़ दिया गया है।

तिथि :-

(बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)

पंचायत सचिव/स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी की अनशंसा

1. आय/वीपीएल- पीपीएल क्रमांक/आय प्रमाण पत्र लागू नहीं
2. आयु प्रमाण पत्र-विद्यालय प्रमाण पत्र/निर्वाय परिचय पत्र/अन्य सरकारी अभिलेख/लागू नहीं।
3. विकलांगता- 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत/लागू नहीं।
4. आवासाय प्रमाण - पत्र - 3 वर्ष/10 वर्ष/लागू नहीं(जो लागू हो उसे सही से चिनहित करें।)

नाम :-

पदनाम :-

(हस्ताक्षर तिथि/मुहर सहित)

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मेने आवेदन मे अंकित जाँच की है और पाया है। पेंशन स्वीकृत की अनुशंसा/स्वीकृत की जाती है।

.....कारण से पेंशन की अनुशंसा नहीं कि जाती है। आवेदन की प्रविष्टि आनलाईन सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है।/कर दी गई है तथा इसका सर्दन संख्या दिनांक है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर सहित

स्वीकृत पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती

को दिनांक सेपेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर सहित

अर्हताएँ :-

क्र०	योजना का नाम	आय	आयु	विकलांगता	थनवास
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60 या उससे अधिक		10 वर्ष
2	लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	अधिकतम 60000 वार्षिक	18 वर्ष से अधिक		10 वर्ष
3	बिहार निशक्तता पेंशन	टाय सीमा नहीं	डम्र सीमा नहीं	40 प्रतिशत से अन्यून	10वर्ष
4	इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बी० पी० एल०	60 या उससे अधिक		3 वर्ष
5	इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	बी० पी० एल०	40 - 70 आयु वर्ग		3वर्ष
6	इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना	बी० पी० एल०	18 - 79 आयु वर्ग	80 प्रतिशत से अन्यून	3 वर्ष

नोट :- आयु प्रमाण पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिससे उम्र/जन्म तिथि दर्ज हो, मान्य होंगे। इसके अनुपालबध रहने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक सत्यापन मान्य होगा।